

न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 07/2015/टोंक (2015/00117)

उमराव सिंह पुत्र अक्षयराज सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सोनवा तहसील टोंक पुलिस थाना महेन्दवास जिला टोंक राजस्थान।

अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक।
2. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक

प्रत्यर्थागण

अपील अन्तर्गत नियम 18 आयुक्त अधिनियम 1959

विरुद्ध आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

आदेश दिनांक 05-12-2014 अपील संख्या 129/2011 बउनवान उमराव सिंह

बनाम उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक

उपस्थित: 1- श्री हेमराज गुप्ता अभिभाषक अपीलार्थी

2- श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2

निर्णय

दिनांक : 21-11-2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ग्राम सोनवा तहसील टोंक का निवासी है अपीलार्थी शस्त्र संख्या डी.बी.एम.एल गन नम्बर 10131 का धारक है। अपीलार्थी का उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण दिनांक 31-1-2009 तक किया जाता रहा था। उक्त अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण किये जाने हेतु अपीलार्थी ने उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर उन्होंने पुलिस अधीक्षक, टोंक से अपीलार्थी के चरित्र संबंधी रिपोर्ट चाही गई जिस पर पुलिस अधीक्षक टोंक ने रिपोर्ट दिनांक 15-6-2011 को प्रेषित की जिसके आधार पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक ने अवैधानिक रूप से अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या डी.बी.एम.एल गन नम्बर 10131 का नवीनीकरण नहीं कर शस्त्र को तत्काल थाने में जमा कराने के आदेश दिनांक 4-7-2011 से पारित कर दिये। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक

5-12-2014 से अपील खारिज कर दी। अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के आदेश दिनांक 5-12-2014 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील **Sub-to-limitation** दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा-5 पर अपीलांट की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा पारित आदेश की जानकारी अपीलार्थी को पूर्व में नहीं हो सकी। अपीलार्थी ने दिनांक 30-1-2015 को जब अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उनके अधिवक्ता ने जानकारी दी कि उनकी अपील दिनांक 5-12-2014 को निरस्त कर दी गई है। इस पर अपीलार्थी ने दिनांक 30-1-2015 को ही आक्षेपित आदेश की निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 13-3-2015 को निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई इसके पश्चात प्रमाणित प्रतिलिपियां एवं दस्तावेजात आदि एकत्रित कर अपीलार्थी दिनांक 14-3-2015 को अजमेर आकर अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपील तैयार कर अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी के राजकीय अधिवक्ता ने अपीलार्थी की धारा-5 मियाद अधिनियम की बहस का जवाब देते हुए तर्क दिया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा-5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों में एवं आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (1) में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा-5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा-5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुलिस अधीक्षक टोंक की रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी के विरुद्ध दर्ज मुकदमा नम्बर 93/93 दिनांक 14-3-1993 जरिये चार्जशीट नम्बर 97/93 दिनांक 31-10-1993 अन्तर्गत धारा 447 आई.पी.सी. एवं 3(5) एस.सी., एस.टी. एक्ट को आधार बनाकर अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं किये जाने के आदेश पारित कर दिये। अपीलार्थी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 19-2-1994 को दोष मुक्त किया जा चुका है। उक्तप्रकरण का निस्तारण अपीलार्थी को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी होने के काफी वर्षों पूर्व ही हो गया था क्योंकि अपीलार्थी को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने के पश्चात से अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र लगातार नवीनीकृत किया जाता रहा है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी होने से पहले अपीलार्थी के विरुद्ध दर्ज प्रकरण को आधार बनाकर शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं किये जाने का जो आदेश पारित किया है वह पूर्णरूप से विधिविरुद्ध है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना ही अपीलार्थी के विरुद्ध निर्णय पारित करने में अनियमितता की है जिससे दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों का निर्णय निरस्तनीय है।

उनका यी भी तर्क है कि पुलिस अधीक्षक, टोंक द्वारा मुकदमा नम्बर 106/2003 दिनांक 5-4-2003 अन्तर्गत धारा 279, 337, आईपीसी थाना कोतवाली का हवाला भी अपनी रिपोर्ट में दिया है जिसमें अपीलार्थी को सजा जुर्माना होना अंकित किया जिन्हें आधार बनाकर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं किये जाने के आदेश पारित किये हैं। उक्त मुकदमा मोटरयान अधिनियम से संबंधित है। अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई भी अपराध कारित नहीं किया गया है जिसमें हथियार का प्रयोग किया गया हो। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आयुद्ध अधिनियम में अंकित प्रावधानों एवं उनकी मंशा के विपरीत जाकर अपीलार्थीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि दोनो अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अपीलार्थी के चरित्र के संबंध में आर्थिक स्थिति, आचरण एवं निवास स्थान के संबंध में अपीलार्थी की स्थिति ठीक होना अंकित किया है तथा अपीलार्थी के आपराधिक पृष्ठ भूमि के संबंध में गलत नहीं होना अंकित किया है इस प्रकार वर्तमान में अपीलार्थी का चरित्र सही होकर अपीलार्थी किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं होना पूर्णतया साबित था। उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त कर कानूनी भूल की है।

उनका यह भी तर्क है कि जिला मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा दिनांक 5-5-2008 को उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक, मालपुरा, देवली, निवाई, टोडारायसिंह, उनियारा, पीपलू को अपने पत्रांक 1993-99 न्याय/शअपत्र/2008 को शस्त्र अनुज्ञा एवं नवीनीकरण के संबंध में पत्र जारी किया गया जिसमें उपखण्ड मजिस्ट्रेट को

केवल शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण के बाबत गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 20-9-2007 के सन्दर्भ में केवल नवीनीकरण के अधिकार दिये जाने का अंकन किया जिसमें यह भी स्पष्ट किया कि आप शस्त्र अनुज्ञा पत्रों को निरस्त नहीं करे परन्तु इसके बावजूद भी उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक ने अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं किया बल्कि स्वयं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक ने नोटिफिकेशन के विपरीत जाकर कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निरस्त किये जाने के आदेश को यथावत रखते हुए अपीलार्थी की अपील खारिज कर दी जो विधिविरुद्ध होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा शस्त्र एवं आयुद्ध अनुज्ञा पत्रों के संबंध में गृह (गुप-9) विभाग के परिपत्र क्रमांक प-1(13)गृह-9/2006 जयपुर दिनांक 16-12-2006 में दी गई व्यवस्थाओं के विपरीत जाकर आक्षेपित आदेश पारित किये है जो अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को नजर अन्दाज कर दिया कि अपीलार्थी के विरुद्ध जो मुकदमा दर्ज हुआ उनमें से कोई भी आर्म्स एक्ट से संबंधित नहीं है ना ही उसके विरुद्ध किसी आर्म्स एक्ट के तहत कोई मुकदमा दर्ज हुआ न ही लम्बित है फिर भी जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय की गलत रिपोर्ट को आधार बनाकर अधीनस्थ न्यायालयों ने जो आदेश पारित किया है अविधिक होने से निरस्त योग्य है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह भी कथन है कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा आयुद्ध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का सरसरी तौर पर बिना अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों को नजरअन्दाज कर आदेश पारित किया है साथ ही अपीलार्थी के विरुद्ध कभी भी अनुज्ञा प्राप्त शस्त्र के द्वारा पब्लिक सुरक्षा एवं शांति भंग करने का कोई कृत्य नहीं किया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालयों ने उसके पक्ष में जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निरस्त करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा पारित अपीलार्थीन आदेश दिनांक 5-12-2014 एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक के आदेश दिनांक 4-7-2011 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी के पक्ष में जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 57/2002 तहसील, टोंक को बहाल कर नवीनीकरण किये जाने का निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं समय-समय पर जारी परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र की सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो, के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाने का प्रावधान है। जिला पुलिस अधीक्षक टोंक की रिपोर्ट पत्र क्रमांक 6637 दिनांक 15-6-2011 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी के विरुद्ध मु0न0 93/93 दिनांक

14-3-1993 धारा 447, आई.पी.सी. व 3(1)(5) एस.सी./एस.टी एक्ट में दर्ज होकर चालान जरिये चार्जशीट नं0 97/93 दिनांक 31-10-93 को पेश किया गया। जहां न्यायालय द्वारा आवेदक को दिनांक 9-12-94 को दोषमुक्त किया गया है तथा मुकदमा नम्बर 106/03 दिनांक 5-4-2003 धारा 279, 337 आईपीसी थाना कोतवाली में दर्ज होकर जरिये चार्जशीट नम्बर 130/03 दिनांक 12-7-03 के द्वारा चालान न्यायालय में पेश किया। न्यायालय द्वारा प्रकरण का निर्णय दिनांक 2-2-06 को किया जाकर सजा सुनाई गई। किन्तु पुलिस अधीक्षक टोंक ने अपनी रिपोर्ट में अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंसा की गई। उक्त आधार पर अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 57/2002 तहसील टोंक को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर अनुज्ञापत्रधारी के शस्त्र संख्या डी.बी.एम.एल. गन नं0 10131 को तत्काल थानाधिकारी पुलिस थाना महेन्द्रवास जिला टोंक में जमा कराने के निर्देश पारित किये हैं जो उचित है। न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषमुक्त किया है किन्तु अपीलार्थी द्वारा निर्णय की प्रति पेश नहीं की है जिससे यह विदित नहीं होता है कि अपीलार्थी को किस आधार पर दोषमुक्त किया गया है। गृह (ग्रुप-9) विभाग जयपुर के पत्र प-1 (13) गृह-9/2006 पार्ट दिनांक 16-12-2006 द्वारा दिये गये निर्देश इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, टोंक का आदेश दिनांक 5-12-2014 एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक का आदेश दिनांक 04-07-2011 विधिसम्मत हैं। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक की रिपोर्ट पत्र क्रमांक 6637 दिनांक 15-6-2011 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी के विरुद्ध मु0न0 93/93 दिनांक 14-3-1993 धारा 447, आई.पी.सी. व 3(1)(5) एस.सी./एस.टी एक्ट में दर्ज होकर चालान जरिये चार्जशीट नं0 97/93 दिनांक 31-10-93 को पेश किया गया। जहां न्यायालय द्वारा आवेदक को दिनांक 9-12-94 को दोषमुक्त किया गया है तथा मुकदमा नम्बर 106/03 दिनांक 5-4-2003 धारा 279, 337 आईपीसी थाना कोतवाली में दर्ज होकर जरिये चार्जशीट नम्बर 130/03 दिनांक 12-7-03 के द्वारा चालान न्यायालय में पेश किया। न्यायालय द्वारा प्रकरण का निर्णय दिनांक 2-2-06 को किया जाकर सजा सुनाई गई। किन्तु पुलिस अधीक्षक टोंक ने अपनी रिपोर्ट में अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंसा की गई। न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषमुक्त किया है किन्तु अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान भी ऐसे कोई निर्णय की प्रति पेश नहीं की है जिससे यह विदित नहीं होता है कि अपीलार्थी को किस आधार पर दोषमुक्त किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से यह परिलक्षित नहीं होता है कि अपीलार्थी को किसी भी प्रकार से जान व माल का कभी खतरा हुआ हो एवं किसी प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता हो।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक ने जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक की रिपोर्ट पत्र क्रमांक 6637 दिनांक 15-6-2011 के आधार पर अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंसा की गई। उक्त आधार पर अपीलार्थी का शस्त्र बन्दूक, डी.बी.एम.एल गन नम्बर 10131 अनुज्ञा पत्र संख्या 57/2002 तहसील टोंक को अपने आदेश दिनांक 4-7-2011 द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर थानाधिकारी पुलिस थाना महेन्दवास जिला टोंक में जमा कराने का आदेश पारित किया है, जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित एवं विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा दोनों अधिनस्थ न्यायालयों (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,) टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5-12-2014 प्रकरण संख्या 129/2011 बउनवान उमराव सिंह बनाम उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा पारित आदेश क्रमांक एफ (129)भू.अ./श.ला./11/1800 दिनांक 4-7-2011 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21-11-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर